तीन बारात घर, एक गेस्ट हाउस सहित पांच अवैध निर्माण सील

जयंतीपुर में एडीए द्वारा सील किया गया बारात घर।

इलाहाबाद, २७ सितम्बर। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेय के अवैध निर्माण के विरुद्ध दिये गये निर्देशन के अनुपालन मे आज कानपुर रोड जयन्तीपुर एवं ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में जोनल अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में चलाये गये अभियान में तीन बारात घर,एक गेस्ट हाउस सहित पांच अवैध निर्माण को सील किया गया। जोनल अधिकारी ने बताया कि छापा कार्यवाही के दौरान जयन्तीपुर कानपुर रोड पर गुलाब कुशवाहा द्वारा वंश गार्डेन एवं विनोद कुमार कुशवाहा द्वारा कलश गार्डेन बीके बनर्जी मार्ग पर आर के जायसवाल द्वारा अवैध रुप से बनाये जा रहे शगुन मिलेनियम गेस्ट हाउस बना रहे थे जिसे मौके पर ही सील कर दिया गया उन्होंने बतायाकि तीन बारात घर सहित एक गेस्ट हाउस तथा पांच अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है साथ ही जयन्तीपुर सुलेमसराय में भवन के आगे तक बढ़ाकर बनाये गये चबूतरे को तोड़ दिया गया रैम्प पर से हटवाया गया। पूरी कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी सहित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता अनिल सिंह भवन निरीक्षक अजीत कुमार श्रीवास्तव,योगेन्द्र राय सुपरवाइजर निरंकार सिंह महेश प्रसाद यादव, एडीए प्रवर्तन दल केसदस्य एवं पुलिस फोर्स मौजूद रही।

यूनाइटेड भारत 28/9/16

तीन बारात घर समेत पांच अवैध निर्माण सील

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

इलाहाबाद।

एडीए ने मंगलवार को जयंतीपुर-ट्रांसपोर्टनगर मे व्यापक कार्रवाई की गयी। इस दौरान प्राधिकरण ने तीना बारात घर समेत पांच अवैध निर्माणों की सील कर दिया। जोनल अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अ भियान के अन्तर्गत कानपुर रोड पर जयंतीपुर में अवैध रूप से चलाये जा रहे गुलाब चंद्र कुशवाहा के बारात घर बंश गार्डेन, विनोद कुमार कुशवाहा का कलश गार्डेन व आर.के. जायसवाल के मिलैनियम गेस्ट हाउस को सील कर दिया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में दो अवैध निर्माणों के खिलाफ भी सीलबंदी की कार्रवाई की गयी। अभियान में क्षेत्रीय अवर अभियंता अनिल सिंह, भवन निरीक्षक अजीत कुमार श्रीवास्तव, योगेंद्र राय, सुपरवाइजर निरंकार सिंह, महेश प्रसाद यादव समेत एडीए पुलिस बल व प्रवर्तन दल उपस्थित रहा।

जयंतीपुर-ट्रांसपोर्ट नगर में एडीए में चलाया अभियान

सहारा 28/9/16

पार्क में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

इलाहाबाद : इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। तीन बरातघर समेत पांच भवनों को सील कर दिया गया। सुलेमसराय योजना में बने पार्क में हो गए अवैध निर्माण पर भी एडीए ने बुलडोजर चला दिया। मंगलवार को जोनल अफसर आलोक पांडेय की अगुवाई में टीम ने कानपुर रोड और बीके बनर्जी मार्ग पर कार्रवाई की। यहां पर गुलाबचंद कुशवाहा के वंश गार्डेन, विनोद कुमार कुशवाहा के कलश गार्डेन और आरके जायसवाल के शगुन मिलेनियम गेस्ट हाउस को अवैध रूप से संचालित पाते हुए सील कर दिया गया।

दैनिक जा० 28/9/16

तीन विवाहघर समेत पांच अवैध निर्माण सील

इलाहाबाद (ब्यूरो)। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (एडीए) ने अवैध रूप से चल रहे विवाहघरों के खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई की। इस दौरान तीन विवाहघर समेत पांच अवैध निर्माण सील किए गए। जोनल अधिकारी आलोक पांडेय के नेतृत्व में कानपुर रोड पर जयंतीपुर में बंश गार्डेन एवं कलश गार्डेन तथा बीके बनर्जी मार्ग पर शगुन मिलेनियम गेस्टहाउस तथा दो अवैध निर्माण सील किए। इसके साथ दस्ते ने सुलेमसराय जयंतीपुर रोड पर भवनों के आगे कब्जा कर बनाए गए चबूतरे एवं रैंप तोड़े। कार्रवाई में जेई अनिल सिंह, बीआई अजीत कुमार श्रीवास्तव, योगेंद्र राय, सुपरवाइजर निरंकार सिंह, महेश प्रसाद यादव, पुलिस बल एवं प्रवर्तन दल शामिल था।

अमर उजाला 28/9/16